न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 20/2018

बउनवान

रामचरण उम्र 50 वर्ष पुत्र श्री पन्नालाल जाति–बैरवा निवासी–सीसवाली तहसील–मॉगरोल, जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,सीसवाली **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री आलोक गोयल, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2\. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 12.11.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 08.03.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सीसवाली, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 800 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म बंजड पर अतिक्रमी मानकर 100/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास [illegible] से दंडित किया गया है।

अपील में [illegible] कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं [illegible] नहीं कर निर्णय फरमाया गया है। द्वितीय अतिचार बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत [illegible] को अधीनस्थ न्यायालय में ना तो सुनवाई जवाबदेहीं का अवसर [illegible] पेश करने का कोई अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय [illegible] प्रतिपादित सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब फरमाया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। [illegible] की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक [illegible] फरमाया जावे।

इस [illegible] रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को [illegible] हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त भूमि पड़त सरकार है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने हेतु बचनबद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 120/2016 निर्णय दिनांक 26.04.2016 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान पर पश्चात्वर्ती पाये जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश पारित किया गया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा। वर्तमान में उक्त आराजी खाली पडी हुई है।

फलस्वरूप अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा पारित बेदखली, शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 31/2017 में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2017 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा नायब तहसीलदार, सीसवाली के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा तथा नायब तहसीलदार, सीसवाली कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जाये तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा निर्णय दिनांक 08.03.2017 से दी गई सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2017 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को सर इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ०एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)